न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 57/2021 GCMS NO 2021/250
दायरा तिथि : 08.10.2021
आदेश तिथि : 07.03.2022

प्रार्थी :–
सामती पुत्र जोरा जाति भील
निवासी भीलो का वास आलावा तहसील आहोर जिला जालौर (राज0)

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 07–03–2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरीबेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1134/1 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील के खसरा नंबर 1136 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से 30 फीट चौडा नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/459 दिनांक 16.02.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम मोरी बेडा स्टेशन तहसील बाली के खसरा नंबर 1134/1 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि श्री सामती पुत्र जोराजी जाति भील निवासी अलावा तहसील व जिला जालोर के नाम की खातेदारी भूमि है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1136	0.04 हैक्टर	बारानी दोयम	9x 32=288 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन की डी.एल.सी. दर 133110/– रूपये प्रति हैक्टर है।

4 .प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं। एवं न ही अन्य कोई भी क्षति होगी।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीबेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1134/1 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3 (2) Rev.6 / 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांकः प.3 (52) राज–6/ 12 /4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के

पेज लगातार........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली.जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 32/2021 GCMS NO 2021/184
अनवान इब्राहीम खां बनाम तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1134/1 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये **राजकीय सिवाय चक भूमि** ग्राम मोरी बेडा स्टेशन पटवार हल्का, दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1136 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे **288 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 133110/– रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1136	0.04 हैक्टर	9X 32=288 वर्गमीटर	13.31	3834X2= 7668	राजकीय सिवायचक भूमि

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार सिवायचक भूमि की देय प्रतिकर राशि 7668– **(अक्षरे सांत हजार छःसौ अठसठ रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा राजकोष में जमा कराई जावेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)
दिनांक : 07-03-22

क्रमॉक/कोर्ट/2022/702-06
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक सामती पुत्र जोराजी जाति भील निवासी अलावा तहसील व जिला जालोर (राजस्थान) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner